कम संख्या- 92(ख)

पंजीकृत संख्या—यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन०—30 / 2012—14 (लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2013 ई0 चैत्र 15, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 170 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2013 देहरादून, 05 अप्रैल, 2013

<u>अधिसूचना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक विधेयक, 2013 को दिनांक 04 अप्रैल 2013 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2013 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2013]

<u>अनुक्रमणिका</u>

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय—1 प्रारम्भिक	
1.	सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और लागू होना	
2.	परिभाषाएं	
	अध्याय—दो	
	आयोग की स्थापना	
3.	आयोग की स्थापना	
4.	आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता	
5.	अध्यक्ष या सदस्य होने के अनर्हता	
6.	चयन समिति का गठन और कृत्य	
7.	अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्ते	
8.	अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जाना	
9.	आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तो	
	की राज्य सरकार की शक्ति	
10.	आयोग की कार्यवाहियाँ	
11.	रिक्तियाँ आदि कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी	
	अध्याय—तीन	
	आयोग की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य	
12.	आयोग की शक्तियाँ एवं कृत्य	
13.	आयोग की सामान्य नीतियाँ	
14.	आयोग की शक्तियाँ	
15.	निर्देश जारी करने की शक्ति	
16.	जल सम्भरण और समग्र निष्पादन का मानक	
17.	निष्पादन के स्तर के संबंध में सूचना	
18.	सूचना के प्रकटीकरण पर प्रतिबन्ध	
	अध्याय—चार	
	माध्यस्थम, अपराध और शास्तियाँ	
19.	माध्यस्थम	
20.	अपराध और शास्तियाँ	
21.	उपयोगकर्ता द्वारा अपराध	

22.	अपराध का प्रशमन
23.	अपराध का संज्ञान
24.	शक्तियाँ और कार्यवाहियाँ, अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी
	अध्याय—पाँच
	लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट
25.	राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुदान
26.	लेखा और लेखा परीक्षा
27.	आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
	अध्याय—छः
	प्रकीर्ण
28.	भू—राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने योग्य धनराशि
29.	अर्थदण्ड या प्रभारों का लागू
30.	सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का सरंक्षपण
31.	अधिकारिता पर रोक
32.	आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी
33.	आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होगा
34.	नियम बनाने की शक्ति
35.	विनियम बनाने की शक्ति
36.	कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

•

- 3 -

उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष 2013]

राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, विवेकपूर्ण, साम्यपूर्ण और पोषणीय प्रबंधन, पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से पोषणीय राज्य के विकास हेतु जल संसाधन के आवंटन और अनुकूलतम उपयोग को सुगम बनाने एवं सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजन के लिये राज्य जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से जल उपयोग हेतु प्रभार अवधारित करने एवं लाभान्वित भू—स्वामियों के बाढ रक्षा एवं जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर उपकर की दर निर्धारित करने के लिए उत्तराखण्ड जल विनियामक आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :--

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

सक्षिप्त नाम, विस्तार,		(4)	an alektrun an ribua ann aannana aan naista alla tantar alektrun aasta
प्रारम्भ और लागू	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013 है।
होना			
Girii		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
		(3)	यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
		(4)	इस अधिनियम के उपबंध, उत्तरी भारत नहर और जल—निकास अधिनियम, 1873 और उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर—व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा् प्रवृत्त) एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लागू होगें।
परिभाषाएं	2.		जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :
		(ক)	"कार्यक्षेत्र" से उत्तराखण्ड के ऐसे सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र से हैं, जिसमें जल का प्रबंधन और उसका संभरण सार्वजनिक या निजी अभिकरण द्वारा प्रयोग करने वाले विभिन्न खण्डों / विभागों / उपभोक्ता समूह को किया जाता हो या ऐसे क्षेत्र से हैं, जो बाढ संरक्षण और जल—निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित होता हो;
		(ख)	"कछार" से किसी नदी के इर्द-गिर्द के ऐसे भू-क्षेत्र से है, जिससे धारायें उसमें प्रवाहित होती है;
		(ग)	"थोक जल हकदारी" से किसी परियोजना, नदी प्रणाली या भण्डारण सुविधा द्वारा उत्पादित जल संसाधन की, हकदारी प्रदान करने वाले आदेश में यथा उपबंधित किसी विनिर्दिष्ट समयाविध के लिये, हिस्सेदारी हेतु आयोग द्वारा किये गये मात्रात्मक प्राधिकार अभिप्रेत है;
		(ঘ)	"उपयोग की श्रेणी" से विभिन्न प्रयोजनों यथा पेय और घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक, सिंचाई, विद्युत, कृषि और पर्यावरण संबंधी प्रयोजन आदि और उसके अन्तर्गत यथाविहित अन्य प्रयोजन भी है, के लिये जल उपयोग के वर्णीकरण अभिप्रेत है;
		(ভ)	''उपकर'' से बाढ संरक्षण और जल–निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भूमि पर ऐसी भूमि के स्वामी / पट्टाधारियों से प्रभारित की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;
		(च)	"अध्यक्ष" से {आयोग} के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

¹⁻ उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ०३ वर्ष २०१६ की धारा २ द्वारा शब्द 'आयोग' प्रतिस्थापित।

- **(छ) "आयोग"** से उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग अभिप्रेत हैं,]²
- (ज) "हकदारी" से इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये जल के उपयोग हेतु आयोग द्वारा किये गये प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (झ) "भू—जल" से ऐसे जल से है, जो किसी विशिष्ट स्थान पर ऐसे भू—वैज्ञानिक संरचना को छोड़कर जिसमें जल स्थिर या गतिमान हो, जिसके अंतर्गत भूजल के जलाशय भी है, भूतल के नीचे किसी जलकुंड में विद्यमान रहता हो;
- (ञ) "भू—गर्भ जल हकदारी" से प्राधिकारी द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् एवं विधिक रूप से अनुज्ञा प्राप्त, पंजीकृत और निर्मित किसी नलकूप, बोरिंग कूप या अन्य कूप से भू—गर्भ जल निकालने के किसी अन्य साधन द्वारा, मैदानों और कुओं से निकाले जाने वाले जल की आयतनिक मात्रा के लिए व्यक्तिगत/उपभोक्ता समूह थोक जल हकदारी अभिप्रेत है;
- (c) "व्यक्तिगत जल हकदारी" से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट थोक जल हकदारी से भिन्न जल के प्रयोग के लिये {आयोग} द्वारा किये गये किसी प्राधिकार अभिप्रेत है;
- (ठ) ''एकीकृत राज्य जल योजना'' से सतही और भूजल दोहन के प्रयोग के लिये आयोग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित जल योजना अभिप्रेत है;
- (ड) "लाइसेंस" से आयोग द्वारा यथाविहित रूप से प्रदान किये गये लाइसेंस अभिप्रेत है;
- (ढ) ''लाइसेंसधारी'' से ऐसे व्यक्ति / संगठन से है जो जल संभरण प्रणाली का अनुरक्षण करता हो, जल का संभरण करता हो और जल टैरिफ एकत्रित करता हो या जो नलकूप / डीजल पंपिंग सेट का स्वामी हो या किसी प्रयोजन के लिये, जिसके अन्तर्गत भू—गर्भ जल के दोहन, द्वारा घरेलू उपयोग भी है, भू—गर्भ जल का उपयोग करता हो;
- (ण) "सदस्य" से {आयोग} के किसी सदस्य अभिप्रेत है;
- (त) "अधिसूचित क्षेत्र" से अत्यधिक दोहित या संकटपूर्ण श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली इकाई / न्याय पंचाचत अभिप्रेत है;
- (थ) ''विहित प्राधिकारी'' से जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर विभिन्न स्तरों पर किसी ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयोग द्वारा किसी प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध जल का कोटा या उसकी मात्रा का उपयोग आयोग द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत हकदारी के आंवटित प्रतिशत के रूप में वार्षिक या मौसम के आधार पर करने हेतु अवधारित या घोषित करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;
- (द) "परियोजना स्तरीय इकाई" से किसी जल संसाधन परियोजना के अन्तर्गत किसी सामान्य संभरण स्रोत से समस्त जल उपभोक्ता इकाईयों के किसी समृह अभिप्रेत है;
- (ध) "कोटा" से किसी हकदारी धारक को उपलब्ध कराये गये जल की ऐसी आयतनिक मात्रा अभिप्रेत है, जिसे वार्षिक या मौसम के आधार पर आवंटन प्रतिशत द्वारा हकदारी में गुणा करके प्राप्त किया जाता है;
- (न) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों अभिप्रेत है;
- (प) "चयन समिति" से अध्याय—दो की धारा 6 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है;
- (फ) "सीवर व्यवस्था" से किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उचिछष्ट जल, व्यर्थ द्रव्य पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने अभिप्रेत है;

¹⁻ उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ०३ वर्ष २०१६ की धारा २ द्वारा शब्द 'आयोग' प्रतिस्थापित।

^{2—} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ०३ वर्ष २०१६ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।

		(ब) ''राज्य जल नीति'' से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नीति अभिप्रेत है;
		(भ) ''टैरिफ'' से जल संभरण उपलब्ध कराने हेतु लागू विनिर्दिष्ट प्रभार या प्रभारों के वर्ग अभिप्रेत हैं;
		(म) ''उपयोगकर्ता'' से किसी जल प्रयोक्ता इकाई यथा अभिकरण, कंपनी, व्यक्ति, निदेशक आदि अभिप्रेत है, जो जल के प्रबन्धन, शोधन और कृषि, बागवानी, घरेलू, उद्योगों, नगरपालिका / ग्रामीण जल संभरण को वितरण करने के लिए या आयोग द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रयोजन के लिये उत्तरदायी हो;
		(कक) ''भू—गर्भ जल प्रयोक्ता'' से व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिये भू—गर्भ जल का स्वामित्व रखने या उपयोग करने वाली किसी कंपनी या अधिष्ठान, चाहे वह सरकारी हो या निजी, सहित किसी संस्था के व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी व्यक्ति / व्यक्तियों अभिप्रेत है;
		(कख) "जल" से निदयों, में या किसी नदी के किसी भाग में, धारा, झील, जलभ्रत या प्राकृतिक जल निकास की नहर में जल के प्राकृतिक संचयन से, मल और औधोगिक उच्छिष्ट आदि के शोधन के पश्चात पुनः चिकत जल अर्थात जल संभरण और सीवर—व्यवस्था, सिंचाई और नहरों, जल—निकास और तटबंधों, जल संग्रहण और जल विद्युत और भू—जल से प्राप्त होने वाले जल या जलीय चक्र के अन्तर्गत संगृहीत या प्रवाहित सभी प्रकार के (ठोस, द्रव या वाष्प) ऐसे जल से है जो जीवन के पोषणीय गुणवत्ता या पोषणीय प्राकृतिक पर्यावरण के लिये आवश्यक है;
		(कग) ''जल प्रयोक्ता इकाई'' से जल प्रयोक्ता संघ, उपयोगकर्ता, औद्योगिक जल प्रयोक्ता संघ या किसी अन्य समूह या व्यक्ति सहित किसी ऐसी जल प्रयोक्ता इकाई से है जो जल हकदारी को प्राप्त करने एवं उसका उपयोग करने के लिये आयोग द्वारा प्राधिकृत की गयी हो;
		(कघ) "जल उपलब्धता" से किसी अवधि, या मौसम या वर्ष, के लिये प्रयोग हेतु सतही या भूजल जो पुनःभरण योग्य है की उपलब्धता अभिप्रेत है;
		(कड़) "जल गुणवत्ता" से ऐसे सुलभ जल अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उपभोग व उस प्रयोजन, जिसके लिये उसका संभरण किया जाता है, के लिये सुरक्षित है।
		अध्याय—दो
आयोग की	2	आयोग की स्थापना {(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन माह के भीतर अधिसूचना द्वारा एक
आयाग का स्थापना	3.	आयोग की स्थापना करेगी, जिसे उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबंधन और नियामक आयोग
		के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और
		समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगा।}¹
		(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।
		(3) आयोग का मुख्यालय देहरादून में होगा।
		{(4) आयोग में एक अध्यक्ष और दो से अनिधक संख्या में सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, होगें।}¹
		(5) अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 में निर्दिष्ट चयन समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

^{1—} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ०३ वर्ष २०१६ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित।

आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की	4.	(1) केवल ऐसे ही व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जो नीचे उल्लिखित अर्हताएं रखता हो।
नियुक्ति के लिये अर्हता		(क) <u>अध्यक्ष:</u> अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 25 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान की स्नातक की उपाधि हो और उसने राज्य सरकार के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव का पद या उसके समकक्ष कोई पद अवश्य धारण किया हो और जल संसाधन से संबंधित विभागों का अनुभव रखता हो;
		{(ख) आयोग के सदस्य योग्य, सत्यिनष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हें इंजीनियरिंग,वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित कठिनाई का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या जिन्होंने इन कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की हो;
		परन्तु यह कि ऐसे सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य जो मुख्य अभियंता स्तर के श्रेणी से नीचे का पद धारण न करता हो अथवा इसके समकक्ष जल विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और 25 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।} ¹ (2) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद
		धारण नहीं करेगा।
		(3) अध्यक्ष आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। (4) जहाँ अध्यक्ष की अनुपस्थिति बीमारी, मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो या जहाँ अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो, वहाँ अध्यक्ष द्वारा उसकी ओर से नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नाम-निर्देशन के
		अभाव में या जहाँ कोई अध्यक्ष न हो, वहाँ विद्यमान सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
अध्यक्ष या सदस्य	5.	कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह हो जायेगा, यदि वह—
होने के अनर्हता		(क) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या
		(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया हो; या
		(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो और कारावास की सजा से दण्डित किया गया हो; या
		(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रभाव पडने की सम्भावना हो; या
		(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा;
		(च) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय आयोग का सदस्य हो या उसके निर्वाचन के लिये प्रत्याशी हो; या
		(छ) किसी राजनैतिक दल का सक्रिय सदस्य हो या उसमे कोई पद धारण किया हो।

^{1—} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ०३ वर्ष २०१६ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित।

चयन समिति का **((1)** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों गठन और कृत्य की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगी। समिति में निम्नलिखित होंगे :-– पदेन अध्यक्ष

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग या उसका नाम-निर्देशिती, जो केन्द्रीय जल आयोग का सदस्य होगा – पदेन सदस्य

यथास्थिति प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, – पदेन सदस्य (ग) उत्तराखण्ड शासन

निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर - पदेन सदस्य

(ভ) यथास्थिति प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई पदेन सदस्य सचिव।}¹ उत्तराखण्ड शासन

- (2) राज्य सरकार मृत्यू, त्याग–पत्र या हटाये जाने के कारण कोई रिक्ति होने के दिनांक से एक माह के भीतर और अध्यक्ष या सदस्य की अधिवर्षता या उसके कार्यकाल की समाप्ति से छः माह पूर्व रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को निर्देश देगी।
- अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय चयन समिति को यथास्थिति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में चयनित किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति के कार्यनिष्पादन, अभिलेख, योग्यता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, अर्हताओं और अनुभव पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा।
- (4) चयन समिति, निर्देश दिये जाने के दिनांक से दो माह के भीतर सदस्यों के चयन को अन्तिम रूप देगी।
- (5) चयन समिति, उसे निर्देशित की गयी प्रत्येक रिक्ति के लिये तीन नामों के पैनल की संस्तृति करेगी।
- ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिये विचार किया जाय. चयन समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचित करेगा :--
 - निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय को कर रहे किसी कार्यालय, नियोजन या परामर्शदात्री अनुबंध या व्यवस्था का जो उस व्यक्ति या उसके नातेदार के नाम से हो या उनमें से किसी के स्वामित्व में या अन्यथा नियंत्रण में किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमित निकाय के नाम / माध्यम से करता हो :--
 - (एक) भू–जल अपयोजन, जल वितरण, भूजल का निकाला जाना या जल संभरण:
 - जल उद्योग से संबंधित मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, उपकरण या साज-सज्जों का विनिर्माण, विक्रय, पट्टा, भाडा या उनकी आपूर्ति या उनका संव्यवहार;
 - (तीन) उपर्युक्त खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी कारबार के लिये कोई व्यावसायिक सेवायें उपलब्ध कराने वाली कोई ईकाई;
 - (ख) ऐसे अन्य विवरण और सूचना जैसा कि चयन समिति द्वारा विहित किया जाय।
- (7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त विवरण को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्ति कि चयन और उसकी संस्तुति के समय चयन समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।

- 8 -

^{1–} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ३ वर्ष २०१६ की धारा ६ द्वारा प्रतिस्थापित।

		(8)	अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में उपधारा (6) में उल्लिखित कारबार में रूचि से स्वयं को निर्निहित रखेगा।
		(9)	यदि, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला कोई व्यक्ति राज्य या केन्द्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी, आयोगों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्यथा द्वारा लाभपूर्वक सेवा में नियोजित किया गया या लगाया गया हो तो वह आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस सेवा से अपना त्याग—पत्र प्रस्तुत कर देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा।
		(10)	जब तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण करता है और किसी भी कारण, जो भी हो, से अध्यक्ष या सदस्य से उसके प्रविरत हो जाने के पश्चात दो वर्ष की अवधि तक वह उपधारा (6) में उल्लिखित किसी कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई पद, नियोजन या परामर्शदात्री व्यवस्था या कोई वित्तीय हित प्राप्त, धारण या अनुरक्षित नहीं करेगा और यदि वह अनैच्छिक रूप में या उत्तराधिकार या वसीयती व्ययन स्वरूप ऐसा कोई हित प्राप्त करता है तो वह ऐसा हित प्राप्त किये जाने के तीन माह की अवधि के भीतर उस हित से स्वयं को निर्निहित कर लेगा।
		(11)	किसी व्यक्ति को संस्तुत करने के पूर्व चयन समिति स्वंय का समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति के पास उपधारा (6) में यथानिर्दिष्ट ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।
		(12)	चयन समिति के समस्त विनिश्चय बहुमत द्वारा होगें।
		(13)	अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
			अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति, चयन सिमति में केवल किसी प्रकार की रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और	7.	(1)	अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक के लिये पद धारण करेगा :
सेवा शर्ते			परन्तु यह कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को अनधिक दो लगातार अवधि तक के लिये पुनर्नियुक्त किया जा सकता है :
		(2)	परन्तु यह और कि अध्यक्ष या कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को एक माह की लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकता है या उसे धारा 8 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा नाम—निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष और प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष के समक्ष ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
		(4)	अध्यक्ष या सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन एवं सेवा शर्ते ऐसी होगी, जैसा कि विहित की जाय।

		(5) अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात्, अलाभकारी परिवर्ततन नही होगें।
		(6) इस रूप में पद धारण से प्रविरत होने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य :—
		(क) राज्य सरकार के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये राज्य सरकार की अनुज्ञा के सिवाय उस दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये पात्र नहीं होगा, जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है; (ख) उस दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये किसी वाणिज्यिक नियोजन को
		स्वीकार नहीं करेगा, जिस दिनांक को वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है; और
		(ग) आयोग के समक्ष किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।
		स्पष्टीकरणः— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ :
		(एक) ''राज्य सरकार के अधीन नियोजन'' में किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य आयोग के अधीन या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित किसी निगम या समिति के अधीन नियोजन सम्मिलित है;
		(दो) ''वाणिज्यिक नियोजन'' से जल संसाधन से संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में संलग्न किसी व्यक्ति के अधीन या उसके अभिकरण में किसी हैसियत से नियोजन से है और उसमें किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का साझीदार भी सम्मिलित है और इसमें, या तो स्वतंत्र रूप मे या किसी फर्म के साझीदार के रूप में या किसी सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में संव्यवहार स्थापित किया जाना भी सम्मिलित है।
अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाया जाना	8.	(1) इस प्रयोजनार्थ उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तर के अधिकारियों को दिये गये निर्देश पर सरकार के सचिव के समकक्ष अधिकारियों से नियुक्त तीन जांच अधिकारियों के पैनल द्वारा की गयी जांच के आधार पर और विपक्ष के नेता के परामर्श से सूचित किये जाने के पश्चात कि अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिये, प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही राज्य सरकार उसके पद से हटा सकेगी।
		(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसने धारा 5 में उल्लिखित किसी अनर्हता को प्राप्त किया हो।
		(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष या किसी सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से तभी हटाया जायेगा, जब कि इस निमित्त मुख्य न्यायाधीश या ऐसे न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा की गयी, जांच के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये निर्देश के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा सूचित न कर दिया गया हो कि उक्त सदस्य को ऐसे आधारों पर हटा दिया जाना चाहिए।
		(4) राज्य सरकार, यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के अनुसार समुचित आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अन्तिम विनिश्चय की सूचना, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष या संबंधित सदस्य को दी जायेगी।

- 10 -

आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने और उनकी सेवा शर्तों की राज्य सरकार की शक्ति	9.		आयोग, अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन ऐसे कर्तव्यों, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को करने एवं उनका निष्पादन करने के लिये एक सचिव को नियुक्त कर सकेगी। आयोग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करेगा। आयोग ऐसी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जैसा कि वह अपने कर्तव्यों व कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे। प्राधिकरण में अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा।
		(3)	आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्ते ऐसी होगीं, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जायें।
		(4)	इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की निबंधन एवं सेवा शर्ते, प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व उनके लिए लागू निबंधन एवं सेवा शर्तो से कम लाभकारी नहीं होगी और वे उनके लिये अलाभकारी नहीं होगी।
		(5)	राज्य सरकार, आयोग द्वारा इस संबंध में किये गये प्रस्ताव के आधार पर आयोग में प्रतिनियुक्ति पर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी।
		(6)	आयोग में किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अविध तीन वर्ष की होगी सिवाय इसके कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे आधारों यथा पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, पदच्युति या अधिवर्षता पर या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से संप्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित हो तो वह राज्य सरकार के अधीन सेवा से संप्रवर्तित रहेगा:
			परन्तु यह कि ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन, अवकाश, भत्तों, सेवानिवृत्ति, पेशन, भविष्य निर्वाह निधि और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित समस्त मामलों का विनियमन, राज्य सरकार सिविल सेवा नियमावली या ऐसी अन्य नियमावली, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर संशोधन द्वारा किया जा सकेगा।
आयोग की कार्यवाहियाँ	10.	(1)	आयोग राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा और अपनी बैठकों में (अपनी बैठकों की गणपूर्ति सिहत) कार्य को सव्यवहृत करने में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का संप्रेक्षण करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय।
		(2)	अध्यक्ष या यदि वह आयोग की बैठक में सम्मिलत होने में असमर्थ हो तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य और ऐसे नाम–िर्देशन के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष न हो, वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वयं के मध्य से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
		(3)	ऐसे समस्त मामलों, जो आयोग के समक्ष आते हैं, पर विनिश्चिय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास द्वितीय या निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

^{1—} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ३ वर्ष २०१६ की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित।

		(4) आयोग के समस्त निर्णय, निदेश और आदेश तर्कसंगत आधार पर लिखित में होगें और किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षणार्थ उपलब्ध होगें और उनकी प्रतियाँ भी ऐसी रीति से उपलब्ध करायी जायेगी, जैसी कि आयोग अवधारित करें।
		(5) आयोग अपनी स्वंय की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।
		(6) आयोग के समस्त आदेशों और विनिश्चयों को सचिव या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।
रिक्तियाँ आदि कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नही करेगी	11.	आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपित्त नही की जायेगी या उसको अविधिमान्य नहीं किया जायेगा कि कोई रिक्ति विद्यमान थी या आयोग के गठन में कोई त्रुटि थी।
		अध्याय–तीन
		आयोग की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य
आयोग की शक्तियाँ एवं कृत्य	12.	आयोग निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा; अर्थात्:—
		(क) राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अन्तर्गत जल संसाधनों के सम्पोषणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित किये गये एकीकृत राज्य जल योजना/द्रोणी योजनाओं को अनुमोदित करना;}1
		(ख) उपयोगकर्ता और परियोजना स्तर पर और विभिन्न श्रेणी के जल उपयोग के लिए और विभिन्न जल प्रयोक्ता इकाई के मध्य ऐसे निबंधन और शर्तो, जो ऐसे वितरण हेतु विहित की जायें, पर राज्य जल नीति द्वारा निर्धारित पैरामीटर के अन्तर्गत हकदारी के आवंटन एवं संवितरण को अवधारित करना;
		(ग) राज्य के भू—पृष्ठ और भू—गर्भ जल के अपयोजन, भण्डारण और उपयोग के हकदारी में उपान्तरण के लिए मानदण्ड निर्धारित करना;
		(घ) संबंधित इकाई द्वारा नदी कछार / उप कछार / पर्वतीय क्षेत्र / तराई क्षेत्र प्रस्तावित नई जल संसाधन परियोजनाओं का पुनर्विलोकन करना और उन्हें यह सुनिश्चित करते हुये स्वीकृति प्रदान करना कि प्रस्ताव, विशेष रूप से प्रत्येक इकाई के जल आंवटन के संबंधन में, एकीकृत राज्य जल योजना के अनुरूप है अर्थात आर्थिक रूप से, जल भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से और पर्यावरणीय रूप से जीवनक्षय है;
		(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मात्रा और उपयोग के प्रकार दोनों में वास्तविक जल उपयोग, आयोग द्वारा जारी की गयी हकदारी के अनुपालन में है, जल उपयोग की हकदारियों की प्रवर्तन अनुश्रवण और माप प्रणाली स्थापित करना;
		(च) पर्यावरण के संरक्षण का अनुश्रवण करना और स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार सतही और भूजल संसाधनों की गुणवत्ता की संरक्षा और सुरक्षा के लिये रूपरेखा के विकास को सुगम बनाना;
		(छ) यदि कोई जल प्रयोक्ता ईकाई / निजी समूह / विभाग किसी सतही जल या भूजल स्रोत को प्रदूषित करती है या प्रदूषण को कारण बनती है और इस प्रकार से जल गुणवत्ता के स्थापित मानदण्डों तथा मानकों के संधारण का अतिलंघन होता है तो हकदारी वापस लेना या कोई कार्यवाही करना जैसा कि आवश्यक समझा जाय;
		(ज) ऐसे किसी सरकारी या निजी संगठन या अभिकरण, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर शास्ति अधिरोपित करना, जो आयोग के विनिर्दिष्ट अनुमोदन या उसकी स्वीकृति के बिना किसी भू—पृष्ठ या भू—गर्भ जल संसाधन की प्रास्थिति को बदलता है, परिवर्तित करता है या बदलाव अथवा परिवर्तन का कारण बनता है;

^{1—} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ३ वर्ष २०१६ की धारा ८ द्वारा प्रतिस्थापित।

		झ) जैसा और अब आवश्यक समझा जाय हकदारी की समय—समय पर समीक्षा करना;
		ञ) आयोग या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा थोक जल हकदारी को पंजीकृत करना और उसका अनुश्रवण करना;
		ट) जल के अपव्यय को न्यूनीकृत करने के लिये जल और अपशिष्ट जल क्षेत्र के कियाकलापों में स्पर्द्धा, कार्यक्षमता और मितव्ययिता को बढावा देना;
		ठ) उत्तम जल प्रबंधन तकनीकी को बढावा देना;
		ंड) भू—गर्भ जल पुनर्भरण में वृद्धि करने के लिए वर्षा जल संचयन को प्रवर्तित करना;
		(ढ) प्रशासन, प्रचालन, अनुरक्षण, द्वास और राजसहायता सहित समस्त लागतों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात जल के उपयोग के लिए जल टैरिफ प्रणाली और प्रभारों को नियत करना और उन्हें विनियमित करना;
		ण) समय—समय पर टैरिफ / जल प्रभारों की समीक्षा करना और उनका पुनरीक्षण करना;
		त) नयी परियोजनाओं के अधीन कार्यान्वित किये गये बाढ संरक्षण और जल निकास संकर्म द्वारा लाभान्वित भू—स्वामी से प्रभारित किये जाने वाले उपकर की दर को अवधारित करना और उसे नियत करना;
		थ) आयोग द्वारा प्रधिकृत किसी उपयुक्त अभिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी विनिश्चयों या आदेशों को प्रवर्तित करना या इस प्रयोजन के लिये किसी विद्यमान अभिकरण को सशक्त करना;
		द) राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किसी मामले में राज्य सरकार की सहायता करना और उसे परामर्श देना।
आयोग की सामान्य	13.	1) आयोग, राज्य जल नीति की रूपरेखा के अन्तर्गत कार्य करेगा।
नीतियाँ		 आयोग राज्य में कार्यदायी अभिकरणों के माध्यम से राज्य नीति के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में ठोस जल संरक्षण एवं प्रबंधन रीतियों को बढावा देगा और उनका अनुश्रवण करेगा।
		अायोग, सुसंगत राज्य अभिकरणों के पूर्ण समन्वय से राज्य के भीतर जल गुणवत्ता में वृद्धि और उसके संरक्षण के निमित्त सहायता एवं अनुदान प्रदान करेगा।
आयोग की शक्तियाँ	14.	 (a) आयोग के पास इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन संबंधी कृत्यों के निष्पादन के दौरान, निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ होगी अर्थात्:— (क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उपस्थिति के लिये दबाव डालना तथा उसकी शपथपूर्वक परीक्षा करना; (ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; (घ) किसी न्यायालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति का अधियाचन करना; या (ङ) साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; और (च) ऐसे अन्य मामले, जो चिन्हित किये जायें। (व) जेई व्यक्ति या व्यक्ति समूह या अभिकरण या उपयोगकर्ता :— (क) जल अंतरण, वितरण एवं जल के उपभोग से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में आयोग के किसी अधिकारी के समक्ष ऐसी पुस्तिकाएं, लेखा या अन्य दस्तावेज

- 13 -

		1	(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को अपने स्वामित्व, शक्ति या नियंत्रण में
			ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा, जो आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने
			कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो।
		(3)	जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान आयोग के पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि किसी इकाई अथवा व्यक्ति की या उससे संबंधित कोई पुस्तिकायें या दस्तावेज, जिनके लिये ऐसी जांच की जा रही हो या कार्यवाही संबंधित हो, या जिसे ऐसी इकाई के स्वामी से ऐसी जांच या कार्यवाही में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय, किसी लिखित आदेश द्वारा नष्ट किये जा रहे है या नष्ट किये जा सकते हैं, वहाँ आयोग अपने किसी अधिकारी को प्रवेश, तलाशी और जब्ती की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 और 240—क के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, प्राधिकृत कर सकता है।
		(4)	आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह से परामर्श ले सकता है, जो आयोग के विनिश्चयों द्वारा प्रभावित हो या प्रभावित होना सम्भाव्य हो।
		(5)	प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा कोई नोटिस जारी की गयी
		(6)	हो, ऐसी नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट सूचना, विवरण, बही, लेखा और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करायेगा।
निर्देश जारी करने	15.		राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम से
की शक्ति	15.		असंगत न हो।
जल सम्भरण और	16.		आयोग समय-समय पर :-
समग्र निष्पादन का		(क)	
मानक			समग्र निष्पादन के ऐसे मानकों का अवधारण कर सकता है, जो उसकी राय में मितव्ययितापूर्ण हो और ऐसे लाइसेन्सधारी द्वारा प्राप्त किया जा सके और भिन्न—भिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा भिन्न—भिन्न मानक अवधारित किये जा सकते हैं; और
		(ख)	इस प्रकार अवधारित मानकों को ऐसे प्रपन्न में और ऐसी रीति से प्रकाशित कर सकता है, जैसा आयोग उचित समझे।
निष्पादन के स्तर के	17.	(1)	प्रत्येक वर्ष आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक लाइसेंसधारी
संबंध में सूचना			आयोग के समक्ष धारा 16 के अधीन अवधारित प्रत्येक मानक के संबंध में लाइसेंसधारी
			द्वारा किये गये निष्पादन के स्तर को प्रस्तुत करेगा।
		(2)	आयोग, उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्राप्त ऐसी सूचना को, जिसे वह आवश्यक
			समझे सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कर सकता है।
सूचना के	18.	(1)	इस अधिनियम के यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी व्यक्ति या कारबार के संबंध में
प्रकटीकरण पर			कोई सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग को उपलब्ध करायी गयी है या उसे
प्रतिबन्ध			प्राप्त हुई है, वर्गीकृत के रूप में समझी जायेगी और उसे आयोग द्वारा संबंधित व्यक्ति या कारबार के प्रभारित व्यक्ति सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जायेगा :
			परन्तु यह कि ऐसी सूचना को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राज्य के महालेखाकार को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध उसकी आवश्यकता हो, प्रकट किया जा सकता है।
		(2)	उपधारा (1) के अन्तर्विष्ट प्रतिबंध टैरिफ से संबधित सूचना पर लागू नहीं होगा।
		(3)	आयोग के पास उपलब्ध सूचना गोपनीय रखी जायेगी और उसे किसी व्यक्ति या अभिकरण को केवल आयोग की अनुमति से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

			अध्याय —चार
			माध्यस्थम, अपराध और शास्तियाँ
माध्यस्थम	19.		धारा 35 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बंध में लाइसेंसधारी या उपयोगकर्ताओं के मध्य किसी विवाद या मतभेद के होने पर इसे माध्यस्थम के लिये आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकता है। आयोग विवाद को न्याय निर्णीत करने और निपटाने के लिये माध्यमस्थम के रूप में स्वंय या किसी मध्यस्थ को नामित कर सकता है। मध्यस्थ द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में दी गयी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
अपराध और शास्तियाँ	20.	(1)	कोई भी व्यक्ति, जो :
			(क) इस अधिनियम, या इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के उपबंधों के उल्लंघन में जल के वितरण या आपूर्ति के कारबार में संलिप्त होता है ; या
			(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी निदेश, आदेश या अपेक्षा का पालन करने या उसे कार्यान्वित करने से समुचित कारण के बिना अस्वीकार करता है या असफल रहता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।
			उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास या रूपये एक लाख तक के जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा और प्रथम अपराध के पश्चात् जिस अवधि में अपराध चलता रहे, प्रत्येक दिन के लिये रूपये बीस हजार तक की शास्ति से और भी दण्डित किया जा सकेगा।
		.,	उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी व्यक्ति को छः मास तक के कारावास या रूपये एक लाख तक के जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा और प्रथम अपराध के पश्चात जिस अवधि में अपराध चलता रहे, प्रत्येक दिन के लिये रूपये पांच हजार तक की शास्ति से और भी दण्डित किया जा सकेगा।
उपयोगकर्ता द्वारा अपराध	21.	,	इस अधिनियम के अधीन उपराध करने वाला व्यक्ति यदि उपयोगकर्ता है तो उपयोग- कर्ता के साथ—साथ अपराध होने के समय उसके कारबार के संव्यवहार के लिए उपयोगकर्ता के प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को भी अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही के लिये दायी होगा और तद्नुसार दण्डनीय होगा : परन्तु यह कि कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि यह साबित कर देता है कि
			ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिये पर्याप्त तत्परता दिखायी थी।
			उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध उपयोगकर्ता द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उपयोगकर्ता के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या अपराध उनकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अधिकारी को भी अपराध का दोषी माना जायेगा और कार्यवाही के दायी होगें तथा तदनुसार दण्डनीय होगें।
अपराध का प्रशमन	22.	.,	आयोग, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया या किसी अपराध के लिये युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध है, रूपये एक लाख से अनधिक की धनराशि की राशि प्रशमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है और अपराध का शमन कर सकता है।

.....

अपराध का संज्ञान	23.	(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के प्रशमित हो जाने पर ऐसे अपराध के संबंध में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी रखी जायेगी और यदि उसके विरूद्ध उस अपराध के सम्बंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है तो ऐसा प्रशमन उसके दोषमुक्त होने के समान प्रभावी होगा। (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय तब जब आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से शिकायत प्राप्त हो। (2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण अधिकारिता वाले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रेणी से निम्न किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
शक्तियाँ और कार्यवाहियाँ, अन्य कार्यवाहयों पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगी	24.	किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियाँ और कार्यवाहियाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों और कार्रवाइयों के अतिरिक्त होगी और उसके अल्पीकरण में नहीं होगी।
		अध्याय—पाँच लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट
	0-	
राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुदान	25.	 (1) राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के लिये उचित समझें: परन्तु यह कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय राज्य की समेकित निधि से भारित किया जायेगा। (2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निष्पादन के लिये ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा और आयोग के व्यय के लिये फीस भी प्रभारित कर सकता है। (3) आयोग को प्राप्त होने वाले शुल्क / याचिकाओं / विवादों के शुल्क की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।
लेखा और लेखा परीक्षा	26.	(1) आयोग, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करायेगा।
		(2) आयोग लेखे की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे अन्तराल पर जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, की जाएगी और ऐसी लेखा परीक्षा से संबंधित उपगत व्यय का भुगतान आयोग द्वारा महालेखाकार को किया जाएगा।
		(3) आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की प्रतियाँ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएगी।
		(4) उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आयोग के लेखे के वार्षिक विवरण की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित एक प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

आयोग की वार्षिक	07	(4)	आणीम विसन विन्तीय वर्ष में आपी कार्यकामां का एस विकास के वस एक वार्षिक
रिपोर्ट	27.	(1)	आयोग, विगत वित्तीय वर्ष में अपने कार्यकलापों का पूरा विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये तैयार करेगा और इसकी प्रतियाँ सरकार को अग्रसारित की जाएगी।
		(2)	राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।
			अध्याय—छ:
			प्रकीर्ण
भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने योग्य धनराशि	28.		इस अध्याय के अधीन देय धनराशि के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि को, आयोग के सचिव के प्रमाण पत्र पर भू—राजस्व के बकाया की भाँति वसूल किया जा सकेगा।
अर्थदण्ड या प्रभारों का लागू	29.		इस अधिनियम के अधीन किसी अर्थदण्ड या प्रभारों को अधिरोपित करते समय आयोग निदेश दे सकता है कि उसकी पूर्ण धनराशि या उसका कोई भाग कार्यवाही की लागत के भुगतान में या प्रति प्रवृत्त होगा।
सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का सरंक्षपण	30.		किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों या आदेश के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नही की जा सकेगी।
अधिकारिता पर रोक	31.		इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्यवाही अपील योग्य नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय की किसी ऐसे मामलें के सम्बन्ध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे आयोग या कोई अन्य आयोग इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विनिश्चय करने के लिए सशक्त है।
आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी	32.		आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219 और 228 के अर्थान्तर्गत नयायिक कार्यवाही समझा जायेगा और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय छब्बीस के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायेगा।
आयोग का अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होगा	33.		आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।
नियम बनाने की शक्ति	34.	(1)	राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
NITN		(2)	विशिष्टतः और उपधारा (1) में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना ऐसे नियमों में सभी विषयों या निम्नलिखित में से किसी एक के संबंध में व्यवस्था हो सकती है; अर्थात् :—
			(क) अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
			(ख) रीति और तरीका, जिसमें आयोग के लेखे को अनुरक्षित किये जायेगें; और
			(ग) कोई अन्य विषय, जिसे निहित किए जाने की अपेक्षा हो या विहित किया जा सके।

विनियम बनाने की	35.	(1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन दक्ष निष्पादन और उसके कृत्यों के लिए विनियम बन
शक्ति		सकता है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल न हो।
		(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों की व्यवस्था हो सकती है; अर्थात् :—
		(क) अपने कृत्यों के निष्पादन में आयोग के कार्यकलापों का प्रशासन;
		(ख) लाइसेंन्सधारियों और जल के क्य, वितरण या सम्भरण में अन्तर्गत अन्य व्यक्तियें को सौपें जाने वाले कृत्यों का निर्धारण, वह ढंग जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा और जल सम्भरण प्रणाली के संचालन और अनुक्षरण के सम्बन्ध में अपनाई और लागू की जाने वाली प्रक्रिया;
		(ग) लाईसेंस स्वीकृत करने की प्रक्रिया और शर्ते, लाइसेन्स के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण और दस्तावेज, मानव और सामान्य शर्ते जिसके अधीन लाइसेन्स स्वीकृत किया जायेगा, लाईसेन्स की अपेक्षा से छूट की स्वीकृति, लाइसेन्सों का विखण्डन और संशोधन और उनक प्रभाव और उससे सम्बन्धित सभी विषय;
		(घ) लाइसेन्सधारियों के कर्तव्य, शक्तियाँ अधिकार और दायित्व;
		(ङ) उन व्यक्तियों द्वारा जो जल वितरण और जल संभरण या उसके प्रयोग में अर्न्तग्रस्त हो, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और सूचना, विवरण, दस्तावेज लेखे और बहियाँ, प्रस्तुत करने की रीति और तरीका;
		(च) राजस्व और टैरिफों के निर्धारण की निबंधन और शर्ते और प्रक्रिया;
		(छ) राज्य में जल वितरण या सम्भरण में अन्तर्गत व्यक्तियों के कार्य निष्पादन वे मानकों का निर्धारण;
		(ज) लाइसेंसधरीं और जल उपभोक्ता द्वारा देय फीस और प्रभार;
		(झ) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लघंन के लिए अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड और शास्ति की धनराशि जिसमें अर्थदण्ड और शास्तियों के अधिरोपण की रीति और तरीका और उसके संग्रह का ढंग सम्मिलित है;
		(ञ) किसी अन्य विषय की, जिसकी विनियमों द्वारा अपेक्षा हो या हो सकती हो व्यवस्था की जा सकती है।
कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	36.	(1) यदि अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है ते सरकार शासकीय गजट में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्राविधान कर सकती है, जे अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यव
		प्रतीत होते हों :
		परन्तु यह कि अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।
		(2) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश इस निर्माण के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभ के समक्ष रखा जायेगा।

THE UTTARAKHAND WATER MANAGEMENT AND REGULATORY ACT, 2013

[UTTARAKHAND ACT NO. 24 OF 2013]

INDEX

Sections	Detail	Page No.
1	2	3
	CHAPTER - I	
	Preliminary	
1.	Short title, extent commencement and applicable	
2.	Definitions	
	CHAPTER – II	
	Establishment of Commission	
3.	Establishment of Commission	
4.	Qualification for appointment of Chairperson and other member of Commission	
5.	Disqualification for being the Chairperson or a Member	
6.	Constitution and function of the selection committee	
7.	Terms of Office and conditions of service of the Chairperson	
8.	Removal of the Chairperson or a member	
9.	Power of State Government to depute officers and employees to the Commission and their service conditions	
10.	Proceedings of the Commission	
11.	Vacancies etc not to invalidate act or proceeding	
	CHAPTER – III	
	Powers, Functions and Duties of the Commission	
12.	Powers and function of the Commission	
13.	General Policies of the Commission	
14.	Power of the Commission	
15.	Powers to issue direction	
16.	Water supply and overall performance standards	
17.	Information with respect to levels of performance	
18.	Restriction on disclosure of information	
19.	Arbitration	
20.	Offences and penalties	
21.	Offence by user	

22.	Compounding of Offences						
23.	Cognizance of offences						
24.	Penalties and proceedings not to prejudice other actions						
	CHAPTER – V						
	Accounts, Audit and Report						
25.	State Government to the Commission						
26.	Accounts and audit						
27.	Annual report of the Commission						
	CHAPTER – VI						
	Miscellaneous						
28.	Amount recoverable as arrears of land revenue						
29.	Application of fines and Charges						
30.	Protection of Action of good faith						
31.	Bar of Jurisdiction						
32.	Proceeding before the Commission to be judicial proceedings						
33.	Chairperson, Member and Staff of the Commission to be public servants						
34.	Power to make rules						
35.	Power to make regulation						
36.	Power to remove difficulties						

THE UTTARAKHAND WATER MANAGEMENT AND REGULATORY ACT, 2013

[UTTARAKHAND ACT NO. 24 OF 2013]

<u>AN</u> <u>ACT</u>

To provide for the establishment of the Uttarakhand water Management and Regulatory Commission Bill to Regulate water resources within the State, facilitate and ensure judicious, equitable and sustainable management, allocation and optimal utilization of water resources of environmentally, economically sustainable development of the State, fix the rates for water use for agriculture, industrial, drinking, power and other purposes and cess on land benefited by flood protection and drainage works from the owners of lands benefited through appropriate regulatory instruments according to State Water Policy and matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

Short title, extent commencement and applicable	1.	(2)	This Act may be called the Uttarakhand Water Management and Regulatory Act, 2013. It extends to the whole of the State of Uttarakhand. It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the <i>Gazette appoint</i> in this behalf. The provisions of this Act shall apply notwithstanding anything to the contrary contained in Northern India Canal and Drainage Act, 1873 or the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (as implemented in the State of Uttarakhand) or in any other law for the time being in force.
Definitions	2.	(b) (c)	"Area of Operation" means the entire geographical area of Uttarakhand in which water is managed and supplied to different use sectors by public or private agency or the area which is benefited by flood protection and drainage works; "Basin" means the area of land around a river from which streams run down into it; "Bulk water Entitlement" Means the Volumetric authorization given by the [Commission] to a share of water resource by a project, river system or storage facility, for specific period of time as specifically provided in the order granting the entitlement; "Category of uses" means classification of use of water for different purposes such as drinking and domestic, industrial or commercial, irrigation, power, agriculture and environmental, etc, and includes such other purposes as may be prescribed;

¹⁻ subs. words "commission" by section 2 of Act no. 03 of 2016 of the Uttarakhand.

- (e) "Cess" means an amount to be charged on lands benefited by flood protection and drainage work from owners/ lease holders of such lands;
- (f) "Chairperson" means the chairperson of Commission;
- (g) ["Commission" means the Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission;]²
- (h) "Entitlement" Means any authorization by the [Commission]¹ to use the water for the specified purpose under this Act;
- (i) "Groundwater" means the water, which exists in an aquifer below the surface of the ground at any particular location, regardless of the geological structure in which it is stationary or moving and includes all groundwater reservoirs;
- (j) "Ground water entitlement" means and individual or bulk water entitlement to a volumetric quantity of water to be extracted from a tube well, bore well or other well or by any other means of extraction of ground water, or a group or field or wells duly and legally permitted, registered and constructed in accordance with standards prescribed by the [Commission]¹;
- **(k) "Individual Water Entitlement"** means any authorization by the Commission to use the water for specified purpose under this Act other than bulk water entitlement;
- (1) "Integrated State Water Plan" means a water plan for use of both surface and ground water duly approved by the [Commission]¹;
- (m) "License" means license granted by the Commission in such manner as may be prescribed;
- (n) "Licensee" means an individual / organization which maintains the water supply system, supplies water and collects the water tariff or which owns tube well/ diesel pumping set or uses ground water for any purpose including domestic use by exploiting groundwater;
- (o) "Member" Means a member of the Commission;
- (p) "Notified area" means a unit / Nyay Panchayat falling under over exploited or critical category;
- (q) "Prescribed Commission" means any Commission at various levels within the water resources management system that has been duly authorized by the Commission to determine and declare, on an annual or seasonal basis, the quota or amount of water available within a system for use as un allocated percentage of the entitlements duly issued by the Commission;
- (r) "Project level entity" means a group of all water user entities from a common supply source within a water resources project;

- 22 -

¹⁻ subs. words "commission" by section 2 of Act no. 03 of 2016 of the Uttarakhand.

²⁻ subs. by section 3 of Uttrakhand Act no. 3 of 2016.

- **(s) "Quota"** means a volumetric quantity of water made available to an entitlement holder, which is derived by multiplying an entitlement by annual or seasonal allocation percentage;
- (t) "Regulation" means regulation made by the Commission under this Act;
- (u) "Selection Committee" means a selection committee constituted under section 6 of Chapter-II;
- (v) "Sewerage" means a system of collection of waste water from a community from its houses, institutions, industry and public places; the pumping treatment and disposal of such waste water, its effluent sludge, gas and other end products;
- (w) "State Water Policy" means the State Water Policy Execute to this Act:
- (x) "Tariff" Means a specific charge or set of charges applicable for providing water supply;
- (y) "Utility" means any water user entity such as agency, company, person, director etc. responsible for the management, treatment and distribution of water agriculture, horticulture, domestic, industries municipal / rural water supplies and for any other purpose and may be notified by the Commission.
- (aa) "User of ground water" means any person/persons and the person or persons an institution including a company or an establishment, whether government or private who or which own or use groundwater for any purpose including domestic use made either on a personal or community basis.
- (ab) "water" Means all surface and sub surface water accruing in river or any part of a river, stream, lake, natural collection of water in aquifers or natural drainage channel, water recycled after treatment of sewage and industrial waste etc., that is to say water supplies and sewerage, irrigation and canals, drainage and embankment, water storage and water power and ground water or, water in all states (Solid, liquid or vapour) in storage or in flux within hydrologic cycle, that is necessary for a sustainable quality of life, as well as for sustaining the natural environment;
- (ac) "Water User Entity" means any water user entity including water users Association, utility, Industrial, users, Association or any other group or entitlement;
- (ad) "Water availability" means availability of surface or ground water for use for a period or season for year which in rechargeable;
- (ae) "Water Quality" means accessed water which is safe for consumption for the purpose for which it is supplied as per norms set by Bureau of Indian Standards.

		CHAPTER – II
		Establishment of Commission
Establishment of Commission	3.	[(1) The State Government shall by notification, establish a Commission within three months from the date of commencement of this Act, to be known as the Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission who shall exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to him under this Act.] ¹
		(2) The Commission shall be a body corporate.
		(3) The head office of the Commission shall be at Dehradun.
		[(4) The Commission shall consist of a Chairperson and such number of Members not exceeding two as may be notified by the State Government.] ¹
		(5) The Chairperson and the Member of the Commission shall be appointed by the State Government on the recommendation of the Selection Committee referred to in Section 6.
Qualification for	4.	(1) Only such person shall be appointed as the Chairperson or Member who possesses the qualifications mentioned hereunder:-
appointment of Chairperson and other member of Commission		(a) Chairperson – The Chairperson shall be a person having bachelor's degree of any recognized University/institute with administrative experience of not less than 25 years, and must have held the post of Chief Secretary of the Sate Government or the Secretary of the Government of India or any post equivalent thereto and has experience of department related to water resources.
		[(b) The Member of the Commission shall be persons of ability, integrity and standing who have adequate knowledge of or experience in, or have shown capacity in dealing with, problems relation to engineering, finance, commerce, economics, law or management;
		Provided that at least one Member shall be form amongst the member who are either holding or have held a post not below the rank of Chief Engineer or equivalent and having qualification and at least 25 years of experience in the field of Hydropower Engineering.] ²
		(2) The Chairperson or any Member of the Commission shall not hold any other office during his / her tenure as such.
		(3) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Commission.

¹⁻ subs. by section 4 of Uttarakhand Act no. 03 of 2016. 2- subs. by section 5 of Uttarakhand Act no. 03 of 2016

		(4) Where the chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness, death, resignation or any other cause or where any vacancy occurs in the office of the chairperson, any Member nominated by the Chairperson on his behalf and, in the absence of such nomination or where there is no Chairperson any member chosen by the member present among themselves, shall exercise the power and discharge the duties of Chairperson.
Disqualification for being the Chairperson or	5.	A person shall be disqualified for appointment as the Chairperson or a member, if he:-
a Member		(a) has been adjudged as insolvent; or
		(b) has become physically or mentally incapable of acting : or
		(c) has been convicted and sentenced to imprisonment for any offence involving moral turpitude; or
		(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect his functions as the Chairperson or a Member; or
		(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or
		(f) is a Member of Parliament, or of any State Legislature or any local Commission or is a candidate for election thereto; or
		(g) is an active member of a political party or holds a post therein.
Constitution and function of the selection committee	6.	[(1) The State Government shall, by notification, constitute a Selection Committee, for the purposes of making appointments of the Chairperson and Members under sub-section (5) of section 3. The Committee shall consist of:-
		(a) the Chief Secretary, Government of ex-officio Chairman Uttarakhand;
		(b) the Chairman, Central Water Commission or ex-officio Member his nominee who shall be the member of the Central Water Commission;
		(c) the Principal Secretary/secretary as may be ex-officio Member Finance, Government of Uttrakhand;
		(d) the Director, Indian Institute of ex-officio Member Management, Kashipur;
		(e) the Principal Secretary/Secretary as may be ex-officio Irrigation, Government of Uttrakhand; Member- Secretary.] ¹
		(2) The State Government shall with in one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal and six months before the superannuation or end of tenure of the Chairperson of the Member, make a reference to the selection committee for filing up to vacancy.

- (3) The Selection committee while making selection of the Chairperson and the Members, shall have due regard to performance record, ability, integrity, character qualifications and experience of the person proposed to be selected as Chairperson or other Member as the case may be.
- (4) The Selection committee shall finalize the selection of the Member within two months from the date on which the reference is made to it.
- (5) The Selection committee shall recommend a panel of three names for every vacancy referred to it.
- (6) A person who is considered for selection as the Chairperson or a Member shall inform to the selection committee:-
 - (a) of any office, employment or consultancy agreement or arrangement which the person or his relative has in his own name or in any firm, association of persons or body corporate, owned or otherwise controlled by any of them carrying on any of the following business:--
 - (i) diversion of surface water, distribution of water, extraction of ground water or supply of water;
 - (ii) manufacture, sale, lease, hire or otherwise supply of or dealing in machinery, plant equipment, apparatus or fitting related to water industry;
 - (iii) any entity providing any professional services to any of the businesses referred to in clause (i) and (ii) above.
 - **(b)** Such other details and information as may be prescribed by the selection committee.
- (7) The details received from the persons referred to in sub-section (6) shall be placed for consideration of the selection committee at the time of selection and recommendation of the person for appointment as the Chairperson or a Member.
- (8) The Chairperson and each Member shall, before taking charge of the office divest him self from the interest in the businesses mentioned in sub-section (6) as a condition of his or her appointment.
- (9) If a person to be appointed as the Chairperson or a Member holds any office under the State or Central Government or any public sector corporation or any Government body or is gainfully employed or engaged in service by any other person Government authorities, public or private sector or otherwise, he shall submit his resignation or take voluntary retirement form that service before joining the Commission.

(10) So long as a person holds the office of the Chairperson or a Member for a period of two years after he ceases to be the Chairperson or a Member for any reason whatsoever, he shall not acquire, hold or maintain, directly or indirectly any office, employment or consultancy arrangement or any financial interest in any of the businesses mentioned in sub-section (6) and if he acquires any such interest involuntarily or by way of succession or testamentary disposition he will divest himself of the interest within a period of three months of such interest being acquired. (11) Before recommending any person, the selection committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest as referred to in sub-section (6) which is likely to affect prejudicially his function as the Chairperson or a Member. (12) All decisions of the Selection committee shall be by a majority. (13) The procedure for selection and appointment of the Chairperson and the Member shall be laid down by the State Government. (14) No appointment of the Chairperson or a Member shall be invalid merely by reason of any vacancy in the selection committee. Terms of (1) The Chairperson of a Member shall hold office from a term of five years Office and from the date he enters upon his office: conditions of Provided that, the Chairperson or a Member may be re-appointed service of the but not for more than two consecutive terms: Chairperson Provided further that the Chairperson or a Member shall not hold office after he has attained the age of seventy years. (2) The Chairperson or any Member may relinquish his office at any time, by giving in writing to the Governor a notice of one month or may be removed from his office. (3) The Chairperson shall, before entering upon his office, make and subscribe and oath of office and secrecy before the Government or any other person nominated by him and every member before the Chairperson in such form as may be prescribed. (4) The salary and allowance payable to, and other terms and conditions of the Chairperson or the Members shall be such as may be prescribed. (5) The salary, allowances and other conditions of services of the Chairperson and the Member shall not be varied to their disadvantage after appointment.

		(6) The Chairperson or a Member Ceasing to hold office as such shall not
		(a) Be eligible for further employment under the state Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office except with the permission of State Government;
		(b) Accept any commercial employment for a period of two years from the date he ceases hold such offices; and
		(c) Represent any person before the Commission in any manner.
		Explanation:- for the purposes of the sub-section
		(i) "Employment under the State Government" includes employment under a local body or any other Commission within the territory of India under the control of any State Government or under any corporation or society owned or controlled by State Government.
		(ii) "Commercial Employment" means employment in any Capacity under or agency of, a person engaged in commercial, industrial or financial business in the water resources related industry and includes also a director of a company or partner of a firm and it also includes setting up practice either independently or as partner of a firm or as an advisor or a consultant.
Removal of the Chairperson or a member	8.	(1) Subject to the provision of sub-section (2), Chairperson or any Member shall only be removed from his office by the State Government on the ground of proved misconduct after the panel or three enquiry officers appointed from the officers equivalent to Secretary of Government for this purpose on reference being made to them by the State Government, has on inquiry, held by the panel and in consultation with the leader of opposition reported that the Chairperson or the Member ought on any such ground to be removed.
		(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by order, remove a member from his office if he becomes subject to any disqualification specified in section 5.
		(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Chairperson or a Member shall be removed from his office on the ground specified in clause (b), clause (d) or clause (e) of section 5 unless the enquiry officer on a reference being made to him this behalf by the State Government, his on an inquiry, held by him in accordance with the procedure specified in this behalf by the Chief Justice or such judge, reported that the member ought on such grounds to be removed.
		(4) The State Government shall pass suitable order in accordance with the report referred to in sub-section (1) or sub-section (3), as the case may be, and the final decision of the State Government shall be communicated to the Chairperson or other Member concerned within a period of 30 days a receipt of such report.

Power of State Government to depute officers and employees to the Commission and their Service conditions	9.	(1)	The Commission may appoint a Secretary to exercise and perform such duties, under the control of the Chairperson, as may be specified by regulation.
		(2)	[The Commission shall obtain necessary information from the concerned Departments of the State Government. The Commission may appoint such number of officers and employees as in considers necessary for the performance of its duties and functions. Determination of numbers of officers and employees in Commission after the approval state Government.] ¹
		(3)	The Salaries and allowance payable to and other conditions of service of the Secretary, officers and other employees of the Commission shall be such as may be determined by State Government from time to time.
		(4)	Save as otherwise provided in the section, the terms and conditions of services of employees on deputation to the Commission shall not be less advantageous than those applicable to them immediately before deputation and shall not be varied to their disadvantage.
		(5)	The State Government shall appoint any Government officer or employee on deputation to the Commission on the proposal made by the Commission in this regard.
		(6)	The period of deputation of any such officer or employee to the Commission shall be three years except when any such person is required to be repatriated on the grounds, such as promotion, reversion, termination or superannuation or any other reason of deputation, he shall stand repatriated to service under the State Government:
			Provided that during the period of such deputation all matter relating to the pay, leave, allowances, retirement, pension, provident fund and other conditions of service of the employee on deputation shall be regulated by the Uttarakhand Civil Services Rules or such other rules as may, from time to time, be made by the State Government.
Proceedings of	10.	(1)	The Commission shall meet at such time and place within the State as
the Commission			the Chairperson may think fit and shall observe such rules of procedure in transaction of business at its meetings (including the quorum at its meetings) as may the determined by regulations.
		(2)	The Chairperson or if he is unable to attend a meeting of the Commission, a member nominated by the Chairperson in this behalf and, in the absence of such nomination or where there is no Chairperson, any Member chosen by the Members present from among themselves, shall preside at the Meeting.

1- subs. by section 7 of Uttrakhand Act no 03 of 2016.

		(3) All matters which come up before the Commission shall be decided by
		a majority of votes of the Members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson or person presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.
		(4) All decisions, directions and orders of the Commission shall be in writing supported by reason and shall be available for inspection by any person and copies of the same shall also be made available in such manner as the Commission may determine.
		(5) The Commission shall regulate its own procedure.
		(6) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.
Vacancies etc not to invalidate act or proceeding	11.	No act or proceedings of the Commission shall be questioned or shall be invalidate merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.
		CHAPTER-III
		Powers, Functions and Duties of the Commission
Powers and function of the	12.	The Commission shall exercise the following powers and perform the following functions; namely:-
Commission		(a) [to approve the Integrated State Water Plan/ Basin Plans developed by Department of the State Government to ensure sustainable management of water resources within the parameters laid down by State Water Policy as amended from time to time;] ¹
		(b) to determine the allocation and distribution of entitlements for various category of use of water at utility, project level and also between various water user entity within the parameters laid down by the State Water Policy on such terms and conditions as may be prescribed for such a distribution;
		(c) to lay down the criteria for modification in the entitlements for the diversion, storage and use of surface and ground water of the State;
		(d) to review and accord clearance to new water resources projects proposed at the river basin/ sub-basin level by the concerned entity ensuring that the proposal is in conformity with Integrated State Water Plan specially with respect to the water allocation of each entity, that is economically, hydro–geologically and environmentally viable;
		(e) to establish a system of enforcement, monitoring and measurement of the entitlements for the use of water to ensure that the actual use of water, both in quantity and type of use are in compliance with the
		entitlements as issued by the Commission;

to monitor conservation of environment and facilitate the development of a framework for the preservation and protection of the quality of surface and ground water resources as per establishment norms and standards: (g) to withdraw the entitlement or take any action as deemed necessary in case any water user entity pollutes or causes to pollute any surface or ground water source of water and thereby infringes the maintenance of established norms and standards for water quality; (h) to impose penalty on any organization or agency, whether Government or private, any individual or a group of individuals who change, alters or cause to change or later the status of any surface or ground water resources without the specific sanction or approval of the Commission; (i) to periodically review the entitlement as and when considered necessary; (i) to register and monitor bulk water entitlement by the Commission or its duly authorized representatives; (k) to promote competition, efficiency and economy in the activities of the water and waste water sector to minimize wastage of water; (I) to promote better water management techniques; (m) to enforce rain water harvesting to augment ground water recharge. (n) to fix and regulate a water tariff system and charges for the use of water after due consideration to all costs including administration, operation maintenance, depreciation and subsidies; (o) to review and revise the tariff/ water charges periodically; (p) to determine and fix the rate of cess to be charged from owner of lands benefited by flood protection and drainage works implemented under new projects; (q) to enforce the decision or orders issued under this Act by a suitable agency authorized by the Commission or empower to any existing agency for this purpose; (r) to aid and advise the Sate Government on any matter referred to the Commission by the State Government. General 13. (1) The Commission shall work within the framework of the State Water Policies of the Policy. Commission (2) The Commission shall promote and monitor sound water conservation and management practices throughout the State in accordance with State Water Policy through the implementing agencies in the State. (3) The Commission shall support and aid the enhancement and preservation of water quality within the State in close coordination with the relevant State agencies.

Power of the Commission	14.	(1)	The Commission shall, while performing its adjudicatory functions under this Act, have all the powers of a civil court trying a suit in respect of the following matters, namely:-
			(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
			(b) requiring this discovery and production of any document;
			(c) receiving evidence on affidavits;
			(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court;
			(e) issuing Commission for the examination of witnesses and documents; and
			(f) such other matters any may be prescribed.
		(2)	Any person or class of persons or agency or utility shall:-
			(a) Produce before an officer of the Commission such books accounts or other document relating to any matter concerning water transference, distribution and consumption of water, which may be required by the Commission for the purpose of this Act; and
			(b) Furnish to any officer so specified such information in his possession, power or control as may be required by the Commission for the purposes of discharge of its functions under this Act.
		(3)	Where, during any inquiry or proceeding under this Act, the Commission has any ground to believe that any books or documents of, or relating to, any unit or person to which such inquiry is being make or proceeding relates, or which the owner of such unit may be required to produce in such inquiry or proceeding, are being, or may be, destroyed, by a written order, authorize any officer of the Commission to exercise powers of entry, search and seizure as may be exercised by an Inspector under section 240 and 240-A of the Companies Act, 1956.
		(4)	The Commission may, in the discharge of its functions, consult persons or group of person affected or likely to be affected by the decisions of the Commission.
		(5)	Every person to whom a notice may be issued this Act by the Commission shall furnish such information, details, books accounts and other documents, as may be specified in such notice.
Powers to issue direction	15.		The State Government may from time to time issue direction not inconsistent with this Act.

Water supply	16.	The Commission may from time to time-
and overall performance standards		 (a) Determine such standards of overall performance in respect of water supply services and promotion of the efficient use of water by consumers, as in its opinion, are economical and ought to be achieved by such licensees and different standards may be determined for different licensees; and (b) Publish the standards so determined in such form and in such manner as the Commission may consider proper.
Information with respect to levels of performance	17.	(1) On or before such date in each year as may be specified by the Commission, every licensee shall furnish to the Commission the level of performance achieved by the licensee for each standard determined under section 16.
		(2) The Commission may publish for general information the information received by it under sub-section (1), which it feels necessary.
Restriction on disclosure of information	18.	(1) Save as otherwise provided in this Act, information in respect of any person or business which, has been furnished to, or obtained by, the Commission under without the consent of the concerned person or the person in –charge of the business:
		Provided that such information my be disclosed to the Central Government, the State Government, Accountant General of the State or a person who requires it in connection with the discharge of statutory duties.
		(2) The restriction contained in sub-section (1) shall not apply to the information related to tariff.
		(3) Information in possession of the Commission shall be kept confidential and may be furnished to nay person or agency only with the permission of the Commission.
		CHAPTER-IV
		Arbitration, offences and penalties
Arbitration	19.	Any dispute or difference arising between licensees or user in respect of matters specified in sub-section (2) of section 35 may be referred to the Commission for arbitration. The Commission may proceed to act as Arbitrator or nominate an Arbitrator to adjudicate and settle the dispute. The Arbitrator shall follow the Procedure as Laid down in Arbitration and Conciliation Act, 1996.

Offences and	20.	(1) Whoever:-	
penalties		(a) In contravention of the provision of this Act, the rules or the regulations made under this Act, engaged in the business of distribution or supply of water; or	
		(b) Refuses or fails without reasonable causes to comply with, or give effect to any direction, order or requirement made under this Act;	
		shall be guilty of an offence under this Act.	
		(2) Any person guilty of an offence under clause (a) of sub-section (1) shall punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to rupees one Lakh or both and a further penalty of rupees twenty thousand for each day after the first offence during which the offence continues.	
		(3) Any person guilty of an offence under clause (b) of sub-section (1) shall punished with imprisonment which may extend to Six Months or with fine which may extend to rupees one Lakh or both and a further penalty which may extend to rupees five thousand for each day after first offence during which the offence continues.	
Offence by user	21.	(1) A person make offence under this Act, if user, than in the time of offence together the user for the dealing of his business, the incharge of user and responsible for that, the every person shall also be culprit for offence and shall be responsible for the proceeding against him and shall be punishable accordingly:	
		Provided that any perons shall not be punishable if he proved that such offence shall be made without his knowledge or he take reasonable quick action for the prevent of such offence.	
		(2) Notwithstanding anything contained in sub-sectoin (1), where any offence made by user under this Act and it is proved that the offence made with the consent or the silence acceptance by any Director, Manager, Secretary or other Officer or such offence made with the reason of their negligence, than such Director, Manager, Secretary or Officer shall also be deemed culprit of offence and shall be responsible for the proceeding against him and shall be punishable accordingly.	
Compounding of Offences	22.	(1) The Commission may, for reasons to be recorded in writing, accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act, a sum of money not exceeding rupees One Lakh by way of composition fee and compound the offence.	
		(2) On the composition of any offence under sub-section (1), no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such offence, and if any proceedings in respect of the offence have already been instituted against him in any court, the composition shall have the effect of the acquittal.	

Cognizance of offences	23.	a	No court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing of an officer authorized in this behalf by the Commission.
		C	An offence under this Act shall be trial by a court not lower in rank other than that of the Additional Chief Judicial Magistrate who has jurisdiction.
Penalties and proceedings not to prejudice other actions	24.	a	All proceeding and actins against a person under this Act shall be in addition to and not in derogation of any proceeding or action under any other law for the time being in fore.
			CHAPTER –V
			Accounts, Audit and Report
State Government to the Commission	25.	I g	The state Government shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grant such sums of money as the State Government my think fit for being utilized for the purposes of this Act:
			Provided that expenditure in respect of Salaries and allowance of the Chairperson and other Members shall be charges on the Consolidate Fund of the State.
		f	The Commission may spend such sums as it think fit for performing the function under this Act, and such sums shall be treated as expenditure of the Commission.
			The fees or fine or moneys thus received in Commission are kept in the public account of the state.
Accounts and audit	26.	r	The Commission shall maintain proper account and other relevant records and shall cause to be prepared an annual statement of accounts in such from as may be prescribed by the Government in consultation with Accountant General.
		s i	The Accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General, Uttarakhand, or any officer authorized by him in this behalf at such intervals as may be specified by Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.
		t	The Copies of annual Statement of accounts of the Commission together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government.
		t	A Copy of the annual Statement of accounts of the Commission together with the audit report thereon received by the State Government under sub-section (3) shall be laid before each house of the State Legislature.

Annual report of the Commission	27.	(1) The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and copies thereof shall be forwarded to the State Government.
		(2) The State Government shall cause the annual report to be laid, as soon as may be, after it is received, before the State Legislature.
		CHAPTER VI <u>Miscellaneous</u>
Amount recoverable as arrears of land revenue	28.	Any amount payable under this Act, except an amount payable under this Chapter may, on a Certificate of the Secretary of the Commission, be recovered as arrears of land revenue.
Application of fines and Charges	29.	The Commission while imposing any fine or charges under this Act may direct that the whole or any part thereof shall be applied in or towards payment of the cost of the proceedings to a party.
Protection of Action of good faith	30.	No suit, prosecution of other Legal proceedings shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provision of this Act or the rules or the regulations or the orders made thereunder.
Bar of Jurisdiction	31.	No order of proceeding made under this Act shall be appeal0able except as provided in this Act and no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Commission or any other Commission is empowered by or under this Act to decide.
Proceeding before the Commission to be judicial proceedings	32.	All proceeding before the Commission shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the code of Criminal Procedures, 1973.
Chairperson, Member and Staff of the Commission to be public servants	33.	The Chairperson, Members and other employee of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
Power to make rules	34.	(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
		(2) In Particular, and without prejudice to he generality of the power contained in sub-section (1), such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
		(a) the procedure to be adopted by the selection committee for selection and appointment of the Chairperson and the Members;
		(b) the form and manner in which the accounts of the Commission shall be maintained; and (c) any other matter which is required to be or may be prescribed

Power to make	35.	(1) The Commission may make regulation not inconsistent with this Act or
regulation		the rules make there under for the efficient performance of its functions
		under this Act. (2) In particular, and without projudice to be generality of the provision of
		(2) In particular, and without prejudice to he generality of the provision of sub section (1), such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-
		(a) the Administration of the affairs of the in the exercise of its functions;
		(b) determination of the function to be assigned to licensees and other persons involved in the purchase, distribution or supply of water, the manner in which such function shall be discharged and the procedures to be adopted and enforced in regard to the operation and maintenance of water supply system;
		(c) the procedure and the conditions for the grant of licenses, the particulars and documents to be made available by the persons applying for licenses, the standards and general conditions subject to which the license shall be granted, the grant of exemption form the requirement of a license, the revocation and amendment of licenses and the effect thereof and all matters related thereto;
		(d) the duties, power, rights and obligation of licensees;
		(e) the particulars to be furnished, and the form and manner for furnishing information, particulars, documents, accounts and books by the persons involved in the water distribution and supply of use of water.
		(f) the terms and conditions and the procedure for determination of revenues and tariffs;
		(g) the determination of the standard of performance of the persons involved in the distribution of supply of water in the State;
		(h) the fees and charges payable by the licensee and the consumer of water.
		(i) the amount of fine and penalties to be imposed for violation of the provisions of this Act including the method and manner of imposition of fines and penalties and collection of the same;
		(j) any other which is required to be, or may be, provided by regulations.
Power to	36.	(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act,
remove difficulties		the Government may, by order published in the Government Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this
		Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:
		Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.
		(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before House of the State Legislature.